5-12-23

<u>कमा बनाम पतराम</u>

अभिभाषक अपीलांट् व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 उपस्थित। विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों द्वारा दिनांक 21–11–2023 को राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25–07–2022 के माध्यम से अपीलांट् के ग्राम सलूण्डिया तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 1588/439 तादादी 10.61 हेक्टर भूमि मेंसे 0.1440 हेक्टर भूमि रास्ते के लिये स्वीकृत की गई है जोकि पश्चिमी सीमा से स्वीकृत किया गया है। उक्त रास्ता रेस्पोडेन्ट्स के खेत खसरा नम्बर 440 में आवागमन हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य गांव के मौजीज व्यक्तियों की समझाईश के उपरान्त आपसी सहमति से खेत खसरा नम्बर 1588/439 की पश्चिमी सीमा की बजा पूर्वी सीमा पर रेस्पोडेन्ट को रास्ता प्रदान कर मौके पर चालू करवा दिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में संशोधन करते हुए खेत खसरा नम्बर 1588/439 की पूर्वी सीमा पर रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रकरण में चूंकि पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए आदेश जैर अपील के माध्यम से स्वीकृत रास्ता जोकि ग्राम सलूण्डिया के खेत खसरा नम्बर 1588/439 की पश्चिमी सीमा पर 0.1440 हेक्टर भूमि कायम किया गया है, के बजाय खेत खसरा नम्बर 1588/439 की पूर्वी सीमा से उक्त रास्ता कायम करते हुए तदनुसार संशोधन की मांग की गई है। प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है तथा शेष पक्षकारों की तलबी होनी भी शेष है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें के अनुसरण में स्वीकृतशुदा रास्ते में संशोधन किये जाने हेतु प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोखा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारों के मध्य रास्ते की आवश्यकता एवं में पूर्व में स्वीकृतशुदा रास्ते के स्थान पर राजीनामें के अनुसरण रास्ते की उपलब्धता, आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत् रखते हुए यथानुसार संशोधन की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर